मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1015 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 13 APR 2023

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को तकनीकी संवर्ग के तृतीय श्रेणी के उपयंत्री पद पर वेतनमान रूपये 32800–103600 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त करते हुये 6 माह की प्रशिक्षण अवधि पर उनके नाम के सामने दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना
1	श्री जय किशन शर्मा, पुत्र श्री संतोषीलाल शर्मा, 157, ग्राम – खेरला, पोस्ट – राजाकातोर, तहसील – सबलगढ़, मुरैना – 476229	अनारक्षित	क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर
2	सुश्री वैशाली पाण्डेय, पुत्री श्री विनय कुमार पाण्डेय, फ्लैट नं. 10, वैष्णव – बी, सुरेन्द्र पैलेस, नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462026	अनारक्षित	क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाड़ा
3	श्री संजय अलावा, पुत्र श्री रतन लाल अलावा, वार्ड नं. 18, बाजार फलिया, वालपुर, अलीराजपुर – 457888	अनु.ज.जा.	क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन
4	सुश्री रागिनी यादव, पुत्री श्री महेश प्रताप सिंह यादव, गुरु नानक हाई स्कूल के पास, राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी – 473551	अन्य पिछड़ा वर्ग	क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर
5	सुश्री प्राची पाण्डेय, पुत्री श्री बालेन्द्र नाथ पाण्डेय, पावर हाउस पतेरी, राघुराजनगर, सतना – 485001	ई.डब्ल्यू. एस.	क्षेत्रीय कार्यालय, सतना

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 समस्त नियुक्त उपयंत्रियों को आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । एक माह में कार्य पर उपस्थित नहीं होने की दशा में अभ्यार्थी के स्थान पर प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।

2 उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

3 नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण करना होगी, उपरोक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने पर अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा प्रदाय की गई वेतन–भत्ते एवं अन्य समस्त राशियों को जमा करना होगा । मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम, 1960 के प्रावधान अनुसार संबंधितों की सेवाएं किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान कर समाप्त की जा सकेंगी ।

4 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे परिवीक्षा अवधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने या प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि में पूर्ण नहीं करने या अन्य कारण से विभाग उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि कर सकेगा या सेवाएं

समाप्त कर सकेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

5 उक्त अभ्यार्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्टता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तो) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती तथा सेवा शर्ते (तृतीय श्रेणी) नियम 1996 के अध्याधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित बोर्ड सेवकों पर लागू नियमों के समान रहेंगे।

6 नियुक्त बोर्ड सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 12/12/2019 अनुसार वेतनमान रूपये 32800-103600 की 70% राशि प्रथम वर्ष, 80% राशि द्वितीय वर्ष एवं 90% राशि तृतीय वर्ष स्टायपेंड के रूप में प्रदान की जावेगी, परिवीक्षा पूर्ण करने पर पद का वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

7 नियुक्त अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

8 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

9 कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में जारी उपरोक्त नियुक्ति आदेश के संबंध में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ०क्र० 1016 स्था/प्रनिबो/2023
भोपाल, दिनांक 13 APR 2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासकीय अधिकारी/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सर्व संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल